



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1020]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2015/वैशाख 25, 1937

No.1020]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2015/VAISAKHA 25, 1937

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2015

**का.आ. 1301(अ).**—जीव-जन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960(1960 का 59) की धारा 4 की उप धारा (1) और धारा 5क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार श्री अनिल संत, संयुक्त सचिव(पशु कल्याण), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को श्री सुरजीत सिंह के स्थान पर धारा 5(1)(ज) के अधीन भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, चैन्नई के सदस्य के रूप में दिनांक 01-05-2015 से 28-02-2017 तक की अवधि के लिए नामित करती है।

[फा. सं. 11/8/2013-(ए डब्ल्यू डी)]

एस.गौरी शंकर, उप सचिव(पशु कल्याण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, 13th May, 2015

**S.O. 1301(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and Section 5A of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby nominates Shri Anil Sant, Joint Secretary (Animal Welfare), Ministry of Environment, Forest and Climate Change in place of Shri Surjit Singh as the Member of the Animal Welfare Board of India, Chennai for a period from 1.5.2015 to 28.2.2017 under Section 5(1)(h) of the PCA Act, 1960.

[F. No. 11/8/2013-AWD]

S. GOWRI SHANKAR, Dy. Secy.(AW)